2110

सम्पत्ति अन्तरण प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 7499 दि 31-8-2020

मैं/हम Balaji Shekher S/O Shashi Shekhar R/o Sini

यह प्रमाण-पत्र आवेदित किया है कि निम्नांकित सम्पत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अन्तरणों का संक्षिप्त विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये कथन के अनुसार विवरण है।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति का प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अन्तरणों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकाओं में सन् 2005 to 2020 से सन् 19 तक उपलब्ध की गयी और ऐसी जानकारी के आधार निम्न संव्यवहारों और अन्तरणों का पता चला। As per Index II सम्पत्ति अन्तरण से संबंधित है।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	पक्षों के नाम और पूरा पता	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतियों के पृ० विवरण		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	कं०	पृ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza - Jalolpur P.S - Rupaspur Thana No. - 22 Tauzi No. - 5170 Khata No. - 10 Plot No. - 144(P) Area - 18D							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. चयनित पत्र की दिशा व्यास भी कर और पुनरावृत्ति की अवधि दर्ज करें। यदि जो उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दिशा में पट्टे की अवधि और अधिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अंतरणों को छोड़ अन्य संपत्ति की प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अंतरण का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर)

(पदनाम): U.D.C

तलासी का सत्यापन और प्रमाण को जांच निम्न व्यक्ति ने की—

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: Danapur

तारीख: 03/09/2020

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनु 03/09/2020 किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा 45 के अधीन जो व्यक्ति (व्यक्तियों) और अनुक्रमणिकाएं (इन्डेक्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हों अथवा इसकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों किसी निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जांच या उन्हें हस्तांतरित स्वयं करनी होगी। निर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणिकाएँ उसके पास भेजी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अग्रिम तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ही गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ही पाये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक: Danapur

क्रम संख्या: 1791 दिनांक: 4/9/2020

आवेदक श्री: Balaji Shekher

का तलाशी प्रमाण-पत्र द्वारा: LIC, Patna

का उसके पत्र संख्या: दिनांक: के प्रार्थना में अग्रसारित की जाती है।

03/09/2020

निबंधन पदाधिकारी

Offline में Ref. I.D invalid shows होने के कारण offline NEC जारी किया गया।

SDL-46(999)-2,00,000

अनुसूची 21—फार्म सं० (1)

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

2111

प्रमाण पत्र संख्या 19 आवेदन सं० 7498 dt 31-8-2020

श्री/श्रीमती Kamla Devi S/D Late Bhagwat Prasad Singh

ने जो पास आवेदन किया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संख्यावाली और अवभारों का संक्षिप्त प्रमाण पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये क्रम के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को समाहित करने वाले संख्यावाली और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकी में सं० 2005 to 2020 से सं० 19 तक प्रविष्टियाँ की गयी और ऐसी जाँच के बाद निम्न संख्यावाली और अवभारों का पता चला As per Index C, यानी संपत्ति अवभार से मुक्त है।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निर्धारण की तारीख	(ख) दस्तावेज का क्रमांक और संदर्भ	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के पृ० निर्देश		
				निर्धारक	दावेदार	जिल्द	पन्ना	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mauza – Jalalpur

P.S – Rupaspur

Thana No. – 22

Khata No. – 17

Plot No. – 145 (P)

Area – 9.375 D

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक पत्र की दिशा ध्यान की कर और भुगतान को अवधि दर्ज करें। बहतें को उनके घरे में उल्लेख हो।
3. छूटे हुये दावा में छूटे हुये की अवधि और मात्रिक लाइन दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संभावनाओं और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संभावनाएं और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): [signature]

(पदनाम): UDC

तलाशी का स्वरूपण और प्रमाण को जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: Danapur

तारीख: 03/09/2020

[signature] 03/9/2020

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संभावनाएं और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाए गए है, यदि आवेदक द्वारा किसी पूर्व विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संभावनाएं (इन्कंबेरनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा 45 के अधीन जो व्यक्ति (व्यक्ति) और अनुक्रमणिकाएं (इन्डेक्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि [illegible] किसी निबंधित दस्तावेजों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उसे तलाशी स्वयं करनी होगी। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणिकाएं उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद हुई सभी संभावनाओं और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा छूटी गयी ऐसी संभावनाओं और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक: Danapur

क्रम संख्या: 1792 दिनांक: 4/9/2020

आवेदक श्री: Kamla Devi

का हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र द्वारा: LIC, patna

[illegible] के प्रयोग में आयनलिए की जाती है।

[signature] 03/9/2020

online की Ref. I.D invalid show होने के कारण Offline NEC जारी किया।

SPM-(6000-3.00.00)